

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/जी/2758
प्रति,

धमतरी, दिनांक: 10/06/2025

परियोजना निदेशक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
ब्लाक एफ-5 शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड धमतरी

विषय :-

Diversion of 228.0425 ha. of forest land in favour of NHAI PIU DHAMTARI for Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement in India (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661)

(पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/119866/2021 दिनांक 16/07/2021)

- संदर्भ:-1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/F.No. FC-III/IROCH-04/2022(01)/17 दिनांक 30.04.2025
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-883/1098 रायपुर, दिनांक 02.05.2025

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। विषयांकित रायपुर-विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना प्रकरण अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 02.12.2022 में अधिरोपित अतिरिक्त शर्त (b) एवं (c) को विलोपित करने हेतु आपके द्वारा किये गये अनुरोध के अनुक्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के संदर्भित पत्र 1 द्वारा शर्त (b) एवं (c) को संशोधित करते हुए उक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। जिसकी संसूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में शर्त (b) अनुसार ए.एन.आर. कार्य हेतु आवश्यक राशि तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के मान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	वर्तमान दर अनुसार कुल राशि रुपये में	पूर्व में जमा की गई राशि रुपये में	वर्तमान में जमा की जाने वाली राशि रुपये में
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (शर्त क्रमांक iii)	457 हे. X 12,86,648/- = 58,79,98,136/- (वर्ष 2025-26 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार रु. 12,86,648/- प्रति हे. की दर से)	53,45,43,760/- (वर्ष 2024-25 के दर अनुसार रु. 11,69,680/- प्रति हे. से)	5,34,54,376/-
2	ए.एन.आर. कार्य रकबा 245 हे. (शर्त क्रमांक (b))	2,16,61,296/-	—	2,16,61,296/-
	योग:-			7,51,15,672/-

उपरोक्तानुसार वर्तमान दर पर प्रकरण अंतर्गत जमा की जाने वाली कुल राशि रुपये 7,51,15,672/- (सात करोड़ इन्क्यावन लाख पन्द्रह हजार छः सौ बहत्तर रुपये मात्र) परिवेश पोर्टल की सहायता से ई-चालान के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कर, जमा रसीद की पावती के साथ संदर्भित पत्र 1 में अधिरोपित शर्त का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ कार्यालय या शासन द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा।

संलग्न:- संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल, धमतरी

335

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित। शर्त (b) अनुसार ए.एन.आर. कार्य 223.00 हेक्ट में लिया जाना है, किन्तु कार्य आयोजना में शामिल कार्यवृत्त के क्षेत्र को ध्यान रखते हुए कूप के कार्य योग्य क्षेत्र का चयन कर 245.00 हेक्ट. ए.एन.आर. कार्य हेतु राशि का मांग किया गया जा रहा है। चयनित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कूप क्रमांक	प्रबंधन वृत्त	पातन श्रेणी	कक्ष क्र.	कूप का क्षेत्रफल (हे. में)		प्राक्कलित राशि
						कुल क्षेत्रफल	कार्य योग्य	
1	उत्तर सिंगपुर	XVI	RDF	पेण्ड्रा	61	159.994	145.00	1,07,12,604/-
2	दक्षिण सिंगपुर	XVI	IWC	डोकाल	105	148.406	100.00	1,09,48,692/-
योग:-						308.400	245.00	2,16,61,296/-

कृपया उक्त राशि का अनुमोदन करने का अनुरोध है।

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 4. वनमंडलाधिकारी, कांकेर/केशकाल वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 संलग्न:- ए.एन.आर. परियोजना प्राक्कलन। (सरल क्र. 1 एवं 2 के लिए)

वनमंडलाधिकारी
 धमतरी वनमंडल धमतरी